तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जंज	नम्बर व ता... अहकाम जो... हुक्म की त... में जारी...
14/1/25	[illegible]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena

Date: 2025.06.23 14:43:07 IST

Reason: SelfAttested

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर, नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीणा ,आर.ए.एस

वीरीसिंह बनाम मनीष चौधरी वगै0

दावा बाबत् 53,188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 87/2021

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ....– व हाजरी वादी मिनजानिब मुददठ व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

वादी व प्रतिवादी को कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 11.09.2024 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 11.09.2024 (प्रदर्श–अ) के अनुसार वादी व प्रतिवादी के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 11.09.2024 प्रदर्श–"अ" इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नदबई रिकॉर्ड में अमल तरमीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे काश्त /हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजामहत, किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से, न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकवे/हिस्से के विरूद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करें।

बैज – मुबलिग – – – – – – – बावत – – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ——————फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक —————— की अदा करें ।

दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख **14.01.2025** को जारी की गई ।

दस्तखत—————— 14/01/25

मुहर

मुद्दई	रूप्या	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बावत इजराय हुक्म नामा मुतफर्रिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी म्हनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बवत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:43:07 IST
Reason: SelfAttested

1. वीरीसिंह पुत्र देवीसिंह जाति जाट निवासी डहरा तह.नदबई (भरतपुर)

– वादी

बनाम

1. मनीष चौधरी पुत्र चौथमल जाति जाट निवासी कुकरपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. ममता पुत्री चौथमल जाति जाट निवासी कुकरपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. महेशचंन्द पुत्र चौथमल जाति जाट निवासी कुकरपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
5. सब रजि. उन पंजीयक नदबई

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:43:07 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण

14/1/25

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री गंगाधर मीना (R.A.S.)

दावा सं.	रजू दिनांक	अन्तिम पर्चा डिक्री दिनांक
87 / 2021	10.06.2021	14.01.2025

उनवान

1. वीरीसिंह पुत्र देवीसिंह जाति जाट निवासी डहरा तह.नदबई (भरतपुर)

– वादी

बनाम

1. मनीष चौधरी पुत्र चौथमल जाति जाट निवासी कुकरपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. ममता पुत्री चौथमल जाति जाट निवासी कुकरपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. महेशचंन्द पुत्र चौथमल जाति जाट निवासी कुकरपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
5. सब रजि. उन पंजीयक लखनपुर

प्रतिवादीगण

दावा– 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: अन्तिम पर्चा डिक्री :–

वादी एवं प्रतिवादी वकील की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 14.01.2025 को श्री गंगाधर मीना सहायक कलक्टर नदबई के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम पर्चा डिक्री दी जाती है :–

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:43:07 IST
Reason: SelfAttested

वादी के वाद को स्वीकार योग्य [illegible] स्थिति में वाद का अन्तिम निर्णय किया जाता है एवं विवादित हा[illegible] आराजी खसरा संख्या 13 रकवा 0.39, 15 रकवा 0.12, 15 रकवा 0.12 [illegible] रकवा 0.32 वाके ग्राम डहरा तहसील नदबई में स्थित है। जिसका वादी एवं प्रतिवादी स. 1 लगायत 3

14/1/25

सहखातेदार हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। जो कि वादी व प्रतिवादी की सम्मिलित खातेदारी का रकबा है, उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण द्वारा वाद पत्र मुताबिक कुर्रारिपोर्ट अनुसार वाद डिक्री किये जाने हेतु अपनी सहमति दी गई।

वादी व प्रतिवादी को कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 11.09.2024 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 11.09.2024 (प्रदर्श–अ) के अनुसार वादी व प्रतिवादी के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 11.09.2024 प्रदर्श–"अ" इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नदबई रिकॉर्ड में अमल तरमीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे काश्त /हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजामहत, किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से, न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकवे/हिस्से के विरूद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करें।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 14.01.2025 .को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

14/1/25

(गंगाधर मीना R.A.S.)
सहायक कलक्टर नदबई

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:43:07 IST
Reason: SelfAttested